निगरानी 978-III-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा म0प्र0

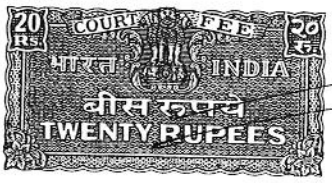

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

79
20.3.15

मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमि. सतना द्वारा एस.एस.डंग सीनियर वाइस प्रेसीडेंट कोल माइन्स बिरला कालोनी सतना जिला सतना म0प्र0 **---निगरानीकर्ता**

बनाम्

स्टेट आफ म0प्र0 द्वारा कलेक्टर रीवा म0प्र0 **---गैर निगरानीकर्ता**

श्री. प्रमोद मिश्रा एड द्वारा आज दिनांक 20-3-15 के प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

4979
क्रमांक 4979
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक .... को प्राप्त
10-4-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 11.04.14 जो राजस्व निरीक्षक मंण्डल अतरैला तहसील जवा जिला रीवा द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 8अ12/2013-14 मे पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार उल्लिखित करने के पूर्व प्रकरण के प्रमुख तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो निम्नलिखित हैः-

1 (क) यह कि निगरानीकर्ता को भारत सरकार कोल मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 239.00 हेक्टेयर का कोल ब्लाक म0प्र0 के शहडोल जिले मे दिनांक 12.08.2008 को आवंटित किया गया था, जिस आवंटित कोल ब्लाक क्षेत्र मे 151.075 हेक्टेयर भूमि वन विभाग की है। आवेदक को आवंटित कोल ब्लाक क्षेत्र मे पड़ने वाली वन भूमि के बदले वैकल्पिक भूमि देना आवश्यक है, जिसके संबंध मे मुख्य वन संरक्षक वृत्त शहडोल द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.05.2010 के द्वारा वन भूमि के बदले उतनी ही वैकल्पिक निजी राजस्व भूमि उपलब्ध

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 978-III/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~12-2015~~ 5.1.16	आवेदक अधिवक्ता ने बताया कि उनके पक्षकार से बिरला कार्पोरेशन को भारत शासन ने कोल ब्लाक हेतु दिनांक 12–8–08 को 239 हैक्टेयर भूमि दिये जाने का आदेश दिया था । इसमें से 151.75 हेक्टेयर वन भूमि होने के कारण म0 प्र0 शासन ने यह आदेश किया कि वे अन्य राजस्व भूमि क्रय करके इस वन भूमि के एवज में दें, जिसे उन्होंने क्रय किया । तदुपरांत दिनांक 9–3–14 को इस भूमि के सीमांकन हेतु मौका पंचनामा बनाया गया किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा लम्बे समय तक इस सीमांकन की पुष्टि नहीं की गई । 2/ विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उनके द्वारा वरिष्ठ स्तरों पर इस संबंध में लिखे जाने पर राजस्व निरीक्षक ने पुरानी तारीख में दिनांक 11–4–14 को यह आदेश पारित किया कि विषयांकित भूमि वन भूमि है, उस पर विक्रेतागणों का कभी कब्जा नहीं था, और वन एवं राजस्व का जिला स्तरीय मामला है, अतः सीमांकन की पुष्टि किया जाना उचित नहीं है । विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि जब सूचना पत्र में वन विभाग के अधिकारियों का उल्लेख है एवं पंचनामें में भी उनकी उपस्थिति बाबत लिखा है, तो ऐसे में मौके के सीमांकन उपरान्त उसकी पुष्टि नहीं किया जाना उचित नहीं है । 3/ प्रकरण में इन तर्कों को सुनने और उपलब्ध अभिलेख के परिशीलन के आधार पर विचार उपरान्त मैं यह प्रकरण कलेक्टर रीवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करता हूँ कि वे परीक्षण करें कि विषयांकित भूमि वन विभाग की है या राजस्व विभाग की। वे यह भी देखें कि विषयांकित विक्रय संव्यवहारों के समय विषयांकित भूमियों के संबंध में संबंधित विक्रेताओं को विक्रय करने के विधिक अधिकार,	प

5.1.16

कब्जा आदि उपलब्ध थे या नहीं । ये समस्त कार्यवाही कलेक्टर प्रत्येक खसरे नम्बर, भूखण्ड इत्यादि के संबंध में स्पष्टतापूर्वक करें । आवश्यक हो तों ऐसा करते समय वे वनं एवं राजस्व विभागों के तथा विक्रेताओं के नये–पुराने अभिलेख देखें, उन्हें रिकार्ड पर लें और इन विभागों एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर दें।

4/ यह सब करने के उपरान्त कलेक्टर विस्तृत एवं बोलता हुआ आदेश पारित करें । यदि इस कार्यवाही के फलस्वरूप कलेक्टर यह पाते हैं कि विषयांकित भूमि पूर्णतः राजस्व भूमि थी एवं राजस्व निरीक्षक को इस संबंध में पूरी जानकारी एवं समाधान था, किन्तु फिर भी उनके द्वारा विषयांकित भूमि के वन भूमि होने, विक्रेताओं के कब्जे नहीं होने आदि का उल्लेख करते हुए, अपने कर्तव्यों के निवर्हन में विलम्ब अथवा लापरवाही की गई है, तो कलेक्टर स्पष्ट कारण अभिलिखित करते हुए राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध योग्य अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करें । किन्तु ऐसा करने के पूर्व कलेक्टर पहले ऊपर बताये अनुसार विषयांकित भूमि वन अथवा राजस्व विभाग की होने, एवम तथाकथित विक्रेतागण के अधिकार की होने के संबंध में खसरा नंबर/भूखण्ड–वार, बोलता हुआ स्पष्ट एवं विस्तृत निर्णय, विभागों एवं हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन, साक्ष्य आदि का अवसर देते हुए, इस आदेश की उन्हें (कलेक्टर को) ससूंचना के अधिकतम छः माह के भीतर, पारित करना सुनिश्चित करें।

पक्षकार एवं कलेक्टर, रीवा सूचित हों । आदेश पारित । प्रकरण समाप्त । दा0द0 हो ।

5.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य